

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:—श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 79/2018

1. श्रीमति मोहनी पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द ।

वादीयां

बनाम

1. भगवतीलाल पिता शेषमल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
2. अर्जुनसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
3. श्यामसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
4. राजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 रा0टि0 एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता वादीयां

निर्णय

दिनांक 30.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मासिंहपुरा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादीयां एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 203 में अंकित आराजी संख्या 194 रकबा 0.70 है., आराजी संख्या 195 रकबा 0.75 है., आराजी संख्या 387 रकबा 0.17 है., आराजी संख्या 388 रकबा 0.44 है., आराजी संख्या 389 रकबा 0.36 है., आराजी संख्या 390 रकबा 0.05 है., आराजी संख्या 391 रकबा 0.05 है., आराजी संख्या 392 रकबा 0.60 है., कुल किता 08 कुल रकबा 3.12 हेक्टेयर भूमियां स्थित हैं, मे कृषि आराजियात का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बॉण्डस के आधार पर हिस्सानुसार विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी की गई हैं वादीयां का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से अनुसार बटवाडा किया जाए एवं राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 23.01.2019 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी प्रारंभिक डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम मासिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में स्थित वादीयां एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है—

क.स	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(हे0)
1	मोहनीदेवी पुत्री भंवरलाल शर्मा सा देह खातेदार	195/2 389/1 391 392/1	0.490 0.190 0.050 0.290
	योग	4	1.020
2.	भगवतीलाल पिता शेषमल ब्राहमण 1/2 अर्जुनसिंह श्यामसिंह राजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत 1/2 सा देह खातेदार	194 195/1 387 388 389/2 392/2	0.700 0.260 0.170 0.440 0.170 0.310
	योग	6	2.050
3	सामलाती बदस्तुर	390	0.050
	योग	1	0.050

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 30.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिंह
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6-7 सीपीसी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी:-श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 79/2018

1. श्रीमति मोहनी पुत्री भंवरलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मासिंहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द ।

वादीयां

बनाम

1. भगवतीलाल पिता शेषमल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
2. अर्जुनसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
3. श्यामसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
4. राजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 रा0टि0 एक्ट

मुकदमा नम्बर :-79/2018 वाद पत्र

निर्णय दिनांक:- 30.01.2019

वादीया की ओर से वादीया के अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.01.2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारो के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम मासिंहपुरा हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में स्थित वादीयां एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क.स	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है0)
1	मोहनीदेवी पुत्री भंवरलाल शर्मा सा देह खातेदार	195/2	0.490
		389/1	0.190
		391	0.050
		392/1	0.290
4			1.020
2.	भगवतीलाल पिता शेषमल ब्राह्मण 1/2 अर्जुनसिंह श्यामसिंह राजेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह राजपुत 1/2 सा देह खातेदार	194	0.700
		195/1	0.260
		387	0.170
		388	0.440
		389/2	0.170
	392/2	0.310	
6			2.050

योग

3 सामलाती बदस्तुर
योग

390	0.050
1	0.050

उपरोक्तानुसार वादीयां एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग स्वतंत्र राजस्व खाता कायम करते हुए दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 30.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(गोविन्द सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रायपुर